न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :– 38/17 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट
उनवान :– श्योजी बनाम वेदप्रकाश वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	वि0 वि0
06.07.2017	पत्रावली पेश हुई । अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थीगण रेस्पो0 वेदप्रकाश वगैरा ने जरिये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि हम पक्षकारान का आपस में जो विवाद था, उसकी बाबत हमारा राजीनामा समाज के मौजिज लोगों ने मिल बैठकर करवा दिया है । इसलिये अब हम पक्षकारान में कोई मनमुटाव नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ली जावे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है । जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थी अपीलांट ने भी निवेदन किया कि हम पक्षकारान में आपस में राजीनामा हो गया है और स्वयं रेस्पो0 ने अपील स्वीकार करने की अपनी सहमति दे दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर गौर किया । चूंकि स्वयं रेस्पो0 ने अपील स्वीकार करने की अपनी सहमति दे दी है । ऐसी स्थिति में न्याय हित मे अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है । अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.5.2017 निरस्त किया जाता है । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर	

Scanned by CamScanner